झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–वन्यप्राणी–03 / 2005 (खण्ड) 5069 / व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

झारखण्ड, जैव विविधता पर्षद का गठन जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–22 के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–वन्यप्राणी–03 / 05 (खण्ड)–6550 दिनांक 20.12.2007 के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय राँची है। पर्षद के अध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड और सदस्य सचिव, मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड है।

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–21(2) के आलोक में पर्षद अंतर्गत गठित प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति के लिए स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन किया जाना है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (भारत सरकार) के Guideline for Operationalization of Biodiversity Management Committees (BMCs) की कंडिका–2.3 एवं 2.6 में वर्णित है कि स्थानीय जैव विविधता निधि का custody वैसे व्यक्ति को दिया जाय, जो कि स्थायी स्थापना, यथा स्थानीय / जिला प्रशासन से हों।

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–21(3)(क) में यह उल्लेखित है कि स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन व अभिरक्षा तथा जिन प्रयोजनों हेतु ऐसी निधि को व्यवहार में लाया जायेगा, राज्य सरकार द्वारा विहित नीति के अनुसार होगा।

जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–21(3)(क) के आलोक में राज्य में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमंडल (वन्यप्राणी प्रमंडल एवं पलामू ब्याघ्र आरक्ष्य के कोर और बफर क्षेत्र प्रमंडलीय स्थापनाओं सहित) में कार्यरत वनपाल को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत गठित स्थानीय निकाय (पंचायत / म्युनिसिपल निकाय) स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए गठित स्थानीय जैव विविधता निधि के संचालन हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरी (Joint Signatory) के रूप में घोषित किया जाता है।

प्राधिकृत वनपाल का मुख्य कार्य उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत निम्नलिखित होगा:–

1. क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष के साथ उनके बैंक खाते का संयुक्त संचालन।

2. निधि का सुरक्षित संचालन।

3. यथासंभव चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4. नगदी संव्यवहार से यथासंभव बचा जायेगा।

5. राशि की प्राप्ति, जमा एवं हस्तांतरण/व्यय।

6. अभिलेख एवं अंकेक्षण हेतु लेखा का संधारण।

7. जिला स्तरीय गठित तकनीकी सहायता समूह से समन्वयन।

8. पर्षद द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

उपरोक्त कार्यों हेतु प्राधिकृत वनपाल संबंधित क्षेत्र के नाभिकीय पदाधिकारी के माध्यम से सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद को प्रतिवेदित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अजय कुमार रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5069 /व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 100 अतिरिक्त मुद्रित प्रतियाँ सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5069 /व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली–110003/वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोर बाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली–110003/नेशनल बायोडायभरसिटी ऑथोरिटी, भारत सरकार, 5वॉ तल्ला, TICEL Bio park Taramani, Chennai-600113 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5069 /व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/सभी मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।